उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-8/2015-2014/26-1-2015-3(51)/2014

लखनऊ : दिनांक: 26 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-127/स0क0/स्था-2/113/वै0पत्रा0/2015-16, दिनांक 28-05-2015 में किये गये अनुरोध के क्रम में श्रीमती मंजुलता भार्गव, सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक(एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कोछा भॉवर, झॉसी, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2014-15 के मध्य सत्र में दिनांक 31-05-2015 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक 21-01-1991 एवं शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक 19-01-1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती मंजुलता भार्गव, सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक(एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कोछा भॉवर, झॉसी को शिक्षा सत्र 2014-15 में दिनांक 30-06-2015 तक का सत्र लाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

केदारनाथ
विशेष सचिव।

पृ0सं0-8/2015-2014(1)/26-1-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-127/स0क0/स्था-2/113/वै0पत्रा0/2015-16, दिनांक 28-05-2015 के संदर्भ में।
3- कोषाधिकारी, झॉसी।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, झॉसी।
5- प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कोछा भॉवर, झॉसी।
6- श्रीमती मंजुलता भार्गव, सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक(एल0टी0 ग्रेड) राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कोछा भॉवर, झॉसी ।
7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in